न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 55/2021
GCMS NO. : 2021/132

–:: सायल ::–	बनाम	–:: गैरसायल ::–
1. ढगलाराम पुत्र लाबूराम जाति–गुर्जर निवासी रानीवाल तहसील जैतारण जिला–पाली।		1. पांचाराम पुत्र नाथुराम जाति गुर्जर निवासी रानीवाल तहसील जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजूः 24/11/2021

उपस्थितः. 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, अप्रार्थी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः 31/03/2022**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायल की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि राजस्व मौजा रानीवाल पटवार हल्का– बैड़कलां तहसील जैतारण जिला पाली में स्थित खसरा नम्बर 22 रकबा 1.6835 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल की भूमि आई हुई है। जिसके वक्त सेटलमेन्ट के समय से काबिज खातेदार काश्तकार सायल के पिता थे तथा भूमि राजस्व रेकर्ड में उनके नाम से दर्ज हुई थी। तत्पश्चात लाबुराम जी के फौत होने पर जरिये नामान्तकरण के उक्त भूमि सायल के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई व मौके पर भी सायल का कब्जा काश्त एवं हक अधिकार है। प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर की इस विवादित भूमि के एक मात्र रेकर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार सायल ही है तथा सायल के अलावा गैरसायल या अन्य किसी भी व्यक्ति का इस विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार से कोई हक हिस्सा एवं अधिकार नहीं होने के बावजूद भी गैरसायल आये दिन सायल के इस विवादित भूमि पर किये जाने वाले काश्त की बात को लेकर दिनांक 04.11.2021 को सायल के साथ लड़ाई झगड़ा व विवाद करते हुये सायल के इस खेत में जबरदस्ती टेक्टर व पट्टिया ले जाकर तारबन्दी करने लगे जिस पर सायल व उसके परिवार वालो द्वारा मना करने पर सायल के साथ विवाद किया। जिस पर सायल ने इस वारदात बाबत पुलिस थाना जैतारण में लिखित रिपोर्ट पेश की जिसकी प्रति इस [illegible] के साथ पेश है। इस प्रकार से गैरसायल ने सायल को अपने इस [illegible] तारामिरा की फसल बुवाई नहीं करने दी तथा सायल के अपने इस विवादित खेत में कब्जे काश्त को लेकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:54:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

सायल के साथ विवाद किया है। इस प्रकार से यदि गैरसायल अपने इस दुष्कृत्य में सफल होकर सायल को कब्जे काश्त की भूमि पर अपना कब्जा कर लेता है। तो सायल अपनी पैतृक पुश्तैनी भूमि से हमेशा हमेशा के लिये वंचित हो जायेगा। जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं है। तथा गैरसायल ने दिनांक 04.11.2021 को सायल के साथ मौके पर लड़ाई-झगड़ा व विवाद किया है। तब ऐसी विषम परिस्थितियों में सायल के पास अदालत श्रीमान् के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायल के पेश है। समस्त तथ्यों एंव परिस्थितियों एवं दस्तावेजात के आधार पर सायल का प्रथम दृष्टिया बहुत ही मजबूत मामला है तथा उक्त भूमि सायल की पैतृक पुश्तैनी कब्जे काश्त की होने से इस भूमि के सम्बन्ध में गैरसायल के विरूद्ध यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो सायल को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष में है। इसलिए यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र बहक सायल विरूद्ध गैरसायल के पेश है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेजात के पेश कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय बहक सायल विरूद्ध गैरसायल के इस आशय का जारी फरमावें कि इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 22 रकबा 1.6835 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल की विवादित भूमि में सायल बतौर खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त करे, काश्त के मुतालिक कार्य करवावे तो उसमें गैरसायल स्वयं एवं पारिवारीक सदस्य, हाली ऐजेन्ट, रिस्तेदार आदि किसी प्रकार का हस्तक्षेप व दखलअंदाजी नहीं करें, न ही कोई बाधा व अड़चन ही पैदा करें। ऐसा करने से गैरसायल को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के वादपत्र के अन्तिम निस्तारण तक के लिये रोका जावे।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायल को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायल ने जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जो सा.मि. है। गैरसायल ने अपने जवाब प्रा.पत्र में कथन किया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित तमाम तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। क्योकि खसरा नम्बर 22 रकबा 1.6835 सायल व गैरसायल का पुश्तैनी कब्जे काश्त की कृषि भूमि है। जिसमें 1/2 हिस्सा सायल का व 1/2 हिस्सा गैरसायल का आता है। जिस पर माफिक हिस्से अनुसार सायल व गैरसायल जन्म से काबिज काश्त है व गैरसायल की कृषि भूमि के चारो तरफ तारबन्दी की हुई है जिसमे पक्का मकान बना हुआ है। व अपने जन्म से गैरसायल रहवास करता आ रहा है व काबिज काश्त है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित तमाम तथ्य गलत होने से अस्वीकार है क्योकि गैरसायल का हिस्सा गौचर भूमि के पास था व उसके पास उसकी खातेदारी कृषि भूमि थी [illegible] की 1/2, 1/2 हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज है। लेकिन [illegible] से लडाई झगडा करता आ रहा है। क्योकि उक्त आरा[illegible] नारायण का तथा 1/2

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:54:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

हिस्सा गैरसायल के दादा मादु पुत्र सादुल का था क्योकि गैरसायल की दादी घीसी थी व लाबु की माँ दाकी थी, जो दोनो भुआ भतीजी थी। जिसमें दाकी भुआ व घीसी भतीजी थी। इस कारण से उक्त सम्पूर्ण आराजी सामलाति कृषि भूमि थी। इसके अलावा ग्राम रानीवाल मे खसरा नम्बर 20 व खसरा नम्बर 257 आराजी भी आयी हुई है। जो सामलाति आराजी है जिसमे गैरसायल के पिता नाथु का नाम दर्ज है और बतौर सामलाति काबिज काश्त है । लेकिन वक्त सेटलमेन्ट से पूर्व खसरा नम्बर 22 मे गैरसायल का कब्जा था व उनके पुश्तैनी समय से काबिज थे लेकिन गैरसायल के दादा का नाम दर्ज होने से रह गया जिसका फायदा उठाकर सायल ने दिनांक 04/11/2021 को गैरसायल के पुश्तैनी समय से बनी हुई माठ व कातले व पुश्तैनी समय से बना हुआ मकान हटाने की कोशिश की जिस पर गैरसायल ने भी पुलिस को बुलाकर सायल को ऐसा गैर कानूनी कृत्य करने से रूकवाया। सायल ने सरासर झुठा कथन किया है कि गैरसायल ने कब्जा करने का प्रयास किया जबकि गैरसायल मय परिवार पक्का मकान निर्माण करवाकर उसमे रह रहा है । तथा सायल ने दिनांक 28/11/2021 को तहसीलदार जैतारण से खसरा नम्बर 22 भूमि की मौका रिपोर्ट मंगवाई जिसमे पटवारी बैडकलां ने मौका रिपोर्ट बनाई जिसमे उन्होने स्पष्ट लिखा है कि गैरसायल का पक्का मकान बना हुआ है व तारबन्दी कर जाली लगा रखी है व मौके पर काबिज है व नजरी नक्शा भी बनाया जिसमे गैरसायल का पक्का मकान व तारबन्दी दर्शाइ हुई है व सायल के पुत्र गिरधारी व मौत बिरानो के हस्ताक्षर है व पढकर सुनाकर हस्ताक्षर करवाये जो सही होना मानकर गैरसायल के परिवार ने हस्ताक्षर किये। उक्त मकान में सन् 1990 से बिजली कनेक्शन ले रखा है तथा गैरसायल मय परिवार उस पर रहवास कर काबिज काश्त है। जबाब प्रर्थना पत्र में अपनी जमीन बताकर काल्पनिक प्रार्थना पत्र पेश किया है। सरहद मौजा रानिवाल मे खसरा नम्बर 22 कृषि भूमि 1/2 हिस्सा मादु पुत्र सादुल का था जो गैरसायल के दादा है। उक्त आराजी गैरसायल की पैतृक पुश्तैनी होने से प्रथम दृष्टिया मामला बखुबी गैरसायल के पक्ष मे है व गैरसायल अपने पुश्तैनी समय से काबिज काश्त है इसलिये सुविधा का सन्तुलन भी बखुबी गैरसायल के पक्ष में है। राजस्व अधिकारीयों की मौका रिपोर्ट भी साथ पेश है । एवं सादी ब्याव के फोटो भी साथ पेश है एवं बिजली कनेक्शन भी प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिससे भी गैरसायलान का कब्जा बखुबी साबित है। इसलिये सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज फरमावे।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्धान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:54:03 IST
Reason: SelfAttested

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः–** पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर हस्तगत प्रार्थना–पत्र के माध्यम से दौराने विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी/सायल ने यह कथन किया कि मौके पर सायल का कब्जा काश्त एवं हक–अधिकार है। गैरसायल ने अपने जवाब प्रार्थना–पत्र एवं दौराने बहस सायल के उक्त कथनों का खण्डन करते हुए यह कथन किया कि विवादित आराजी के 1/2 हिस्से पर गैरसायल का अधिकार है जिसमें वह जन्म से काबिज है, जिस पर तारबंदी व पक्का मकान बना हुआ है। गैरसायल ने पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी बैड़कलां द्वारा तैयार की गई मौका फर्द मय नजरी नक्शा दिनांक 28/11/2021 में वादग्रस्त आराजी पर उनके पक्का मकान व तारबंदी होने के कथन किये है। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी बैड़कलां द्वारा तैयार की गई मौका फर्द रानीवाल दिनांक 28/11/2021 की प्रति के अवलोकन से गैरसायल के उक्त कथन पुष्ट होते है। जिसमें गैरसायल पांचाराम पुत्र नाथूराम का गोचर से लगती हुई सीमा पर पक्का मकान व तारबंदी कर 4.03 बीघा में काबिज होना अंकित है। अतः मूल वाद के अनुतोष के संबंध में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर यह स्पष्ट है कि गैरसायल वादग्रस्त आराजी के आंशिक भाग का उपयोग–उपभोग कर रहे है जिसमें प्रार्थी द्वारा गैरसायल की बेदखली के संबंध में कोई दावा नहीं किया गया है। साथ ही प्रार्थी यह साबित करने में विफल रहे है कि किस प्रकार सम्पूर्ण आराजी के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। अतः यह बिंदू सायल/प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता है।
2. **सुविधा का संतुलनः–** चुंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध साबित हुआ है। साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी बैड़कलां की मौका फर्द से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पर गैरसायल भी आंशिक रूप से काबिज होकर उसका उपयोग–उपभोग कर रहे है, जिसका सायल/प्रार्थी द्वारा खण्डन भी नहीं किया है। अतः सम्पूर्ण आराजी के संबंध में सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में निहित होना नहीं माना जा सकता। फलतः यह बिंदू भी प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता है।
3. **अपूरणीय क्षतिः–** प्रथम दोनों बिंदू सायल/प्रार्थी के विरूद्ध साबित हुए है। साथ ही सायल/प्रार्थी द्वारा केवल स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया है। प्रार्थी/वादी द्वारा गैरसायल की बेदखली हेतु कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द से यह प्रतीत होता है कि संपूर्ण आराजी पर प्रार्थी का कब्जा काश्त [illegible] है। उक्त स्थिति में सायल/प्रार्थी यह साबित करने में [illegible] बिना बेदखली यदि उसके पक्ष में संपूर्ण आराजी [illegible] निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:54:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

तो उसे किस प्रकार अपूरणीय क्षति कारित होगी जबकि गैरसायल मौका फर्द में वर्णित भाग का पूर्व से ही उपयोग/उपभोग कर रहे है। अतः यह बिंदू भी सायल/प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि इस्तगत प्रकरण सायल/प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र सायल/प्रार्थी अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 31/03/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:54:03 IST
Reason: SelfAttested